



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2019/श्रावण 1, 1941
No. 261] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2019/SHRAVANA 1, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2019

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.043.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 203 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 5 के उप-विनियम (8) में "सत्तर वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचहत्तर वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल विनियम की अनुसूची में,-

(i) खंड 4 के उपखंड (1) में मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्:-

'(क) "नियत कार्य (असाइनमेंट)" से किसी दिवाला व्यावसायिक का अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, शोधन अक्षमता न्यासी, प्राधिकृत प्रतिनिधि या संहिता के अधीन किसी अन्य भूमिका में कोई नियत कार्य अभिप्रेत है;

(कक) “नियत कार्य (असाइनमेंट) के लिए प्राधिकार” से किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा किसी ऐसे दिवाला व्यावसायिक को, जो उसका व्यावसायिक सदस्य है, उसकी उप-विधियों के अनुसार जारी किसी नियत कार्य को आरंभ करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;

(कख) “सदस्यता प्रमाणपत्र” से उप-विधि 10 के अधीन अनुदत्त एजेंसी की सदस्यता का प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;’ ।

(ii) खंड 12 के उपखंड (1) में, मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी:—

“(चक) नियत कार्य के लिए प्राधिकार और प्राधिकार संख्यांक जारी करने, उसका नवीकरण, निलंबन, निलंबन का प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण का रद्दकरण और स्वीकार करने की तारीख।”;

(iii) खंड 12 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“12क. नियत कार्य के लिए प्राधिकार

(1) एजेंसी, अपने व्यावसायिक सदस्य द्वारा आवेदन किए जाने पर, नियत कार्य के लिए प्राधिकार जारी या नवीकृत कर सकेगी।

(2) कोई व्यावसायिक सदस्य, नियत कार्य के लिए प्राधिकार अभिप्राप्त करने का तब पात्र होगा, यदि –

- (क) वह बोर्ड के पास दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (ख) वह भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 4 के खंड (छ) के स्पष्टीकरण के निबंधनानुसार उपयुक्त और समुचित व्यक्ति है;
- (ग) वह नियोजन में नहीं है;
- (घ) वह एजेंसी या बोर्ड के किसी निदेश या आदेश द्वारा विवर्जित नहीं है;
- (ङ) उसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ली है;
- (च) उसके विरुद्ध एजेंसी या बोर्ड के समक्ष कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है;
- (छ) वह आवेदन की तारीख को—
 - (i) एजेंसी और बोर्ड को फीस का संदाय करने;
 - (ii) एजेंसी और बोर्ड के समक्ष फाइल करने और प्रकटनों;
 - (iii) निरन्तर व्यावसायिक शिक्षा; और
 - (iv) संहिता, विनियमों, एजेंसी और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, निदेशों या दिशानिर्देशों के अधीन अनुबद्ध अन्य अपेक्षाओं की बाबत अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(3) नियत कार्य के लिए प्राधिकार जारी करने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति और ऐसी फीस सहित किया जाएगा, जो एजेंसी उपबंधित करे :

परन्तु नियत कार्य के लिए किसी प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकार के अवसान की तारीख से पूर्व किसी भी समय किया जाएगा किन्तु प्राधिकार के अवसान की तारीख से पैंतालीस दिन पूर्व नहीं किया जाएगा।

(4) एजेंसी आवेदन पर उप-विधियों के अनुसार विचार करेगी और यथास्थिति, या तो व्यावसायिक सदस्य को प्ररूप ख में नियत कार्य के लिए प्राधिकार जारी या नवीकृत करेगी या सकारण आदेश सहित आवेदन को नामंजूर करेगी।

(5) यदि एजेंसी द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर नियत कार्य के लिए प्राधिकार जारी, नवीकृत या नामंजूर नहीं किया जाता है तो एजेंसी द्वारा प्राधिकार, यथास्थिति, जारी या नवीकृत किया गया समझा जाएगा।

(6) एजेंसी द्वारा जारी या नवीकृत कोई प्राधिकार, यथास्थिति, उसके जारी या नवीकृत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक विधिमान्य होगा जिसको व्यावसायिक सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(7) एजेंसी द्वारा उसका आवेदन नामंजूर करने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई आवेदक, आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर सदस्यता समिति को अपील कर सकेगा।

(8) सदस्यता समिति, अपील की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर सकारण आदेश द्वारा अपील का निपटारा करते हुए एक आदेश पारित करेगी।”;

(iv) खंड 23 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“23क. नियत कार्य के लिए प्राधिकार, यथास्थिति, एजेंसी या बोर्ड द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने पर निलंबित हो जाएगा।”;

(v) खंड 24 के उपखंड (2) में, मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(खक) नियत कार्य के लिए प्राधिकार का रद्दकरण;”;

(vi) खंड 26 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“नियत कार्य के लिए प्राधिकार का अभ्यर्पण

26 (1) कोई व्यावसायिक सदस्य, नियतकार्य के लिए अपने प्राधिकार का अभ्यर्पण करने के लिए,-

(क) भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति बनने;

(ख) उसके द्वारा कोई नियोजन ग्रहण करने; या

(ग) उसके द्वारा आचार संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात कारबार के सिवाय कोई कारबार आरंभ, करने से कम से कम तीस दिन पूर्व एजेंसी को आवेदन करेगा और ऐसा अभ्यर्पण स्वीकार कर लिए जाने पर एजेंसी द्वारा अभ्यर्पण को स्वीकार करने के एक कार्य दिवस के भीतर बोर्ड को इसकी सूचना दी जाएगी।

(2) एजेंसी द्वारा नियतकार्य के लिए प्राधिकार के अभ्यर्पण के लिए कोई आवेदन तब स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि -

(क) नियत कार्य के लिए प्राधिकार निलंबित कर दिया गया है;

(ख) कोई नियतकार्य चल रहा है;

(ग) बोर्ड द्वारा नियतकार्य करने के लिए तैयार किए गए किसी पैनल में व्यावसायिक सदस्य का नाम शामिल किया गया है।”;

(vii) अनुलग्नक में, प्ररूप क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप ख

नियत कार्य के लिए प्राधिकार

(एजेंसी की उप-विधियों की उप-विधि 12क के अधीन)

सं.

तारीख.....

नियत कार्य के लिए यह प्राधिकार (नाम अंतःस्थापित करें) को, जो (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम अंतःस्थापित करें) के व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित है, जिसकी व्यावसायिक सदस्यता सं. (संख्यांक अंतःस्थापित करें) है और जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पास दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (संख्यांक अंतःस्थापित करें) है, जारी किया जाता है।

2. यह प्राधिकार(तारीख अंतःस्थापित करें) से (तारीख अंतःस्थापित करें) तक विधिमान्य है ।/ इस प्राधिकार का (तारीख अंतःस्थापित करें) को नवीकरण किया जाता है और वह (तारीख अंतःस्थापित करें) तक विधिमान्य है । (जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

हस्ता/-

(दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम) की ओर से

स्थान:.....

तारीख:.....” ।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./147/19]

टिप्पणः भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके बाद भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 383, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.035, द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा उनमें संशोधन किए गए ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2019

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019

F. No. IBBI/2019-20/GN/REG043.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 203 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 5, in sub-regulation (8), for the words “seventy years”, the words “seventy-five years” shall be substituted.

3. In the principal regulations, in the Schedule, -

(i) in clause 4, in sub-clause (1), for item (a), the following items shall be substituted, namely:-

‘(a) “assignment” means any assignment of an insolvency professional as interim resolution professional, resolution professional, liquidator, bankruptcy trustee, authorised representative or in any other role under the Code;

(aa) “authorisation for assignment” means an authorisation to undertake an assignment, issued by an insolvency professional agency to an insolvency professional, who is its professional member, in accordance with its bye-laws;

(ab) “certificate of membership” means the certificate of membership of the Agency granted under bye-law 10;’;

(ii) in clause 12, in sub-clause (1), after item (f), the following item shall be inserted, namely:-

“(fa) date of issue, renewal, suspension, revocation of suspension, cancellation and acceptance of surrender of authorisation for assignment and authorisation number;”;

(iii) after clause 12, the following clauses shall be inserted, namely: -

“12A. Authorisation for Assignment.

(1) The Agency, on an application by its professional member, may issue or renew an authorisation for assignment.

(2) A professional member shall be eligible to obtain an authorisation for assignment, if he-

- (a) is registered with the Board as an insolvency professional;
- (b) is a fit and proper person in terms of the Explanation to clause (g) of regulation 4 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016;
- (c) is not in employment;
- (d) is not debarred by any direction or order of the Agency or the Board;
- (e) has not attained the age of seventy years;
- (f) has no disciplinary proceeding pending against him before the Agency or the Board;
- (g) complies with requirements, as on the date of application, with respect to-
 - (i) payment of fee to the Agency and the Board;
 - (ii) filings and disclosures to the Agency and the Board;
 - (iii) continuous professional education; and
 - (iv) other requirements, as stipulated under the Code, regulations, circulars, directions or guidelines issued by the Agency and the Board, from time to time.

(3) An application for issue or renewal of an authorisation for assignment, shall be in such form, manner and with such fee, as may be provided by the Agency:

Provided that an application for renewal of an authorisation for assignment shall be made any time before the date of expiry of the authorisation, but not earlier than forty-five days before the date of expiry of the authorisation.

- (4) The Agency shall consider the application in accordance with the bye-laws and either issue or renew, as the case may be, an authorisation for assignment to the professional member in Form B or reject the application with a reasoned order.
- (5) If the authorisation for assignment is not issued, renewed or rejected by the Agency within fifteen days of the date of receipt of application, the authorisation shall be deemed to have been issued or renewed, as the case may be, by the Agency.
- (6) An authorisation for assignment issued or renewed by the Agency shall be valid for a period of one year from the date of its issuance or renewal, as the case may be, or till the date on which the professional member attains the age of seventy years, whichever is earlier.
- (7) An applicant aggrieved of an order of rejection of his application by the Agency may appeal to the Membership Committee within seven days from the date of receipt of the order.
- (8) The Membership Committee shall pass an order disposing of the appeal by a reasoned order, within fifteen days of the date of receipt of the appeal.”;

(iv) after clause 23, the following clause shall be inserted, namely: -

“23A. The authorisation for assignment shall stand suspended upon initiation of disciplinary proceedings by the Agency or by the Board, as the case may be.”;

(v) in clause 24, in sub-clause (2), after item (b), the following item shall be inserted, namely:-

“(ba) cancellation of authorisation for assignment;”;

(vi) for clause 26, the following clause shall be substituted, namely: -

“Surrender of Authorisation for Assignment.”

26. (1) A professional member shall make an application to surrender his authorisation for assignment to the Agency at least thirty days before he-

- (a) becomes a person resident outside India;
- (b) takes up an employment; or
- (c) starts any business, except as specifically permitted under the Code of Conduct, and upon acceptance of such surrender, the same shall be intimated to the Board by the Agency within one working day of acceptance of surrender.

(2) No application for surrender of authorisation for assignments shall be accepted by the Agency, if -

- (a) the authorisation for assignment has been suspended;
- (b) an assignment is continuing; or
- (c) name of the professional member is included in any panel prepared by the Board for undertaking assignment.”;

(vii) in the Annexure, after FORM A, the following Form shall be inserted, namely: -

“FORM B

AUTHORISATION FOR ASSIGNMENT

(Under bye-law 12A of the Agency’s Bye-laws)

No.

Date

.....

This authorisation for assignment is issued to [insert name], who is enrolled as a professional member of the [insert name of insolvency professional agency] with professional membership no. [insert number] and registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India as an insolvency professional with registration no. [insert number] under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

2. This authorisation is valid from [insert date] to [insert date]. / This authorisation is renewed on [insert date] and is valid till [insert date]. (Strike off if not applicable).

Sd/-

For and on behalf of [name of insolvency professional agency]

Place:.....

Date:.....”.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./147/19]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016 -17/GN/REG001 dated 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 on 22nd November, 2016 and were subsequently amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 published vide notification No. IBBI/2018-19/GN/REG35 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 383 on 11th October, 2018.